रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 180] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 1970/कार्तिक 12, 1892
No. 180] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 1970/KARTIKA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd November 1970

SUBJECT:—*Issue of import licences for steel to actual users.*

No. 161-ITC(PN)/70.—Attention is invited to item No. 5 in the Annexure to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 140-ITC(PN)/70 dated 11-9-1970. It has been decided that the description of item No. 5 may be substituted as under:—

"Hot and/or cold rolled strips (not less than 200 mm in width) and skelp, in coils, of mild, high carbon or alloy steels (excluding stainless steel)."

2. In order that small scale units may be able to procure their requirements conveniently 'off-the-shelf' against the import licences held by them, it has been decided that such units may, if they so desire, approach the Hindustan Steel Limited to obtain supplies from their ready stocks on presentation of valid import licences issued for steel items issued under Public Notice No. 140-ITC(PN)/70 dated 11-9-1970. The units will be required to surrender the licences in question to the

Hindustan Steel Limited and the Hindustan Steel Limited will supply the goods for the unutilised value of the licences. This facility will be available in respect of licences issued against any mode of financing.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3, नवम्बर, 1970

विषय.—वास्तविक उपभोक्ताओं हेतु इस्पात के लिए आयात लाइसेंस का जारी किया जाना।

सं०-161 आई०टी० सी० (पी०एन०/70.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 140 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 दिनांक 11-9-70 के लिए अनुबंध में उल्लिखित मद संख्या 5 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह निश्चय किया गया है कि मद संख्या 5 के विवरण को नीचे लिखे अनुसार प्रतिस्थापित किया जाय :—

"गर्म ओर/या ठंडे रोल्ड स्ट्रिप्स (चौड़ाई में 200 एम एम से कम नहीं) और स्केल्प नर्मे लच्छों के, हाई कार्बन या एलाय स्टील (स्टैनलैस स्टील के अतिरिक्त)।"

2 इस रूप में यह कि ऐसे लघु पैमाने एकक जिनके पास आयात लाइसेंस हैं, तो वे इनके द्वारा संचित भंडार से अपनी जरूरतों को सुविधानुसार पूरा करने के योग्य हो सकते हैं, यह निश्चय किया गया है कि इस प्रकार के एकक, यदि इनके लिए इच्छुक हैं, तो वे सार्वजनिक सूचना सं० 140 आई टी सी (पी एन)/70 दिनांक 11-9-70 के अंतर्गत स्टील मदों के लिए जारी किए गये वैध आयात लाइसेंसों के प्रस्तुत करने पर उनके तैयार भंडार से संभरण प्राप्त करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० को सम्पर्क कर सकते हैं। एककों को विचाराधीन लाइसेंस हिन्दुस्तान स्टील लि० को अभ्यार्पित करना होगा और हिन्दुस्तान स्टील लि० लाइसेंस के बिना उपयोग किए गये मूल्य के लिए उन्हें माल का संभरण करेगा। यह सुविधा किसी भी क्रय-विधि के अन्तर्गत जारी किए लाइसेंसों के सम्बन्ध में प्राप्त होगी।

SUBJECT:—*Import of raw materials, components and spares by actual users in the small scale sector during April 1970—March 1971—Modes of financing*

No. 162-ITC (PN)/70.—Attention is invited to paragraph 5 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 56-ITC(PN)/70 dated 14-4-1970 and Public Notice No. 87-ITC(PN)/70 dated 23-6-1970 on the above subject.

2. On a review of the position, it has been decided to revise the modes of financing for issue of licences to non-exporting units in the small scale sector for import of raw materials, components and spares. Accordingly, applications for the grant of licences for import of raw materials and components (including spares in the case of units engaged in industries other than priority) from the small scale units (non-exporting units) for the period April 1970—March 1971 will be considered under the following modes of financing:—

(1) 50 per cent under free foreign exchange,

(ii) 25 per cent under U.K. credit (U.K./India Maintenance Loan (No. 2) 1970). The terms and conditions of this credit have been announced in the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 159-ITC(PN)/70 dated 30-10-1970.

(iii) 25 per cent against U.S. AID/Rupee Payment. While applying for licences, the applicants should give their option whether a licence may be issued to them against U.S. AID or Rupee Payment Area. Where an applicant does not give his option to this effect in his import application, it will be open to the licensing authority to issue the licence against any of these modes of financing. Requests for conversion from U.S. AID into Rupee Payment Area and *vice-versa* will be considered in terms of Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 87-ITC(PN)/70 dated 23-6-1970.

3. Import licences already issued to small scale units for import of raw materials, components and spares for the period April 1970—March 1971 under U.S. AID/ Rupee Payment will be re-issued in accordance with the provisions of sub-paras 2(ii) and 2(iii) of this Public Notice if requests to this effect are received by the licensing authorities concerned within 60 days from the date of issue of this Public Notice.

4. Paragraph 5 of the Public Notice No. 56-ITC(PN)/70 dated 14-4-1970 may be deemed to have been amended accordingly.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 के दौरान लघु पैमाने क्षेत्र में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा कच्चे माल संघटकों तथा फालतू पुर्जों का आयात—अर्थयुक्त करने की विधियां ।

संख्या 162-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—उपर्युक्त विषय पर विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 56—आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 14-4-1970 और सार्वजनिक सूचना संख्या 87—आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 23-6-69 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षण कर लघुपैमाने क्षेत्र में लगे हुए गैर-निर्यात एककों को कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए अर्थयुक्त करने की विधियों को परिशोधित करने का निश्चय किया गया है । तदनुसार, अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की अवधि के लिए लघु पैमाने एककों (गैर-निर्यातकों एककों) से कच्चे माल और संघटकों (प्राथमिकता प्राप्त एककों को छोड़कर उद्योगों में लगे हुए अन्य एककों के मामलें में फालतू पुर्जों सहित) के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्रों पर अर्थयुक्त करने की निम्नलिखित विधियों के अन्तर्गत विचार किया जायगा :—

(1) स्वतंत्र विदेशी मुद्रा-विनिमय के अन्तर्गत 50 प्रतिशत ।

(2) यू०के० साख/यू०के०/भारत अनुरक्षण ऋण (संख्या 2) 1970 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत । इस साख के नियमों और शर्तों की घोषणा विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 159—आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक, 30-10-1970 में कर दी गई है ।

(3) यू० एस० ए० आई० डी०/रुपये में भुगतान के लिए 15 प्रतिशत। लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र देते समय आवेदकों को अपना यह विकल्प दे देना चाहिए कि उन्हें लाइसेंस यू० एस० ए० आई० डी० के लिए जारी किया जाए अथवा रुपये में भुगतान क्षेत्र के लिए। जहां इस सम्बन्ध में आवेदक अपने आयात के लिए आवेदन पत्र में अपना यह विकल्प नहीं देता है तो लाइसेंस प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इन अर्थयुक्त करने की विधियों में से किसी के लिए भी लाइसेंस जारी करेगा। यू० एस० ए० आई० डी से रूपये में भुगतान क्षेत्र में और ठीक इसके विपरीत में परिवर्तन करने के लिए किए गए क्षेत्र आवेदन पत्रों पर विचार विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 87—आई० टी० सी (पी० एन)/70, दिनांक 23-6-1969 की शर्तों के अनुसार किया जायगा।

3. अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की अवधि के लिए य० एस० ए० आई० डी०/रूपये में भुगतान के अन्तर्गत लघु पैमाने एककों को कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए जो लाइसेंस पहले ही जारी किए गए हैं, तो उन्हें इस सार्वजनिक सूचना की उपकंडिका 2(ii) और 2 (iii) की व्यवस्थाओं के अनुसार पुनः जारी किया जायगा यदि सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रार्थनाएँ इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 60 दिनों के भीतर प्राप्त की जाती है।

4. सार्वजनिक सूचना संख्या 56—आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 14—4—70 को कंडिका 5 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाय।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970